FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0048 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/02/2026 21:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 17/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:15 बजे **Time To (समय तक):** 17:52 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/02/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/02/2026 21:17:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 500 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PANCHYAT SAMITI KE SAMANE, REVARDAR JILA SIROHI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAITARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHEEMARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM POST UDWARIYA, REVDAR, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM POST UDWARIYA, REVDAR, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH KUMAR		पिता:BADRIDAS VAISHNAV	1. RADHEKRISHNA MANDIR KE PASS,RANIWARA KHURD,RANIWARA,JALORE,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 80,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 03.02.2026 को परिवादी श्री जैताराम ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विषेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर विषयः-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, प्रार्थी श्री जेताराम पुत्र श्री खीमाराम निवासी उडवारिया रेवदर, सिरोही का रहने वाला तथा वर्तमान में मैं अपनी ग्राम पचांयत उडवारिया का प्रषासक भी हूॅ। मेरी पचांयत द्वारा कुछ किसानो के लिए कैटल शैड स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर पंचांयत समिती भेजने पर उक्त कार्य को स्वीकृत करवाने के एवज में श्रज्। श्री दिनेष वैष्णव द्वारा स्वयं व अन्य अधिकारियों के लिए प्रति आवेदन 8-10 हजार रू की रिष्वत मांगी जा रही है। करीब 10 आवेदन कैटल शैड के स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर कुल 80 हजार से एक लाख तक की रिश्वत की मांग की जा रही हैं मैं इन्हे यह रिश्वत नहीं देकर इन्हें भ्रष्ट कर्मचारी-अधिकारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं प्रार्थी की इनसे कोई रंजिश नहीं हैं, ना ही कोई उधार के लेन -देन बकाया हैं। प्राथी एसडी जेताराम जेताराम पुत्र श्री खीमाराम नि.- उडवारिया, रेवदर जि. सिरोही [redacted] उक्त आशय की रिपोर्ट पेश करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित करने पर परिवादी श्री जैताराम को हमराह लेकर कार्यालय में आकर परिवादी से उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में दरियाफ्त कि तो परिवादी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताते हुये प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृति की इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवकों द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता हैं जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। जिस हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री मनीष सिंह कानि0 नं0 486 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबीडाईची कम्पनी का)मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादीव श्री मनीष सिंह कानि0 नं0 486का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से श्री मनीष सिंह कानि0 नं0 486 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाया गया, बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादी के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी तथा कानि0 दोनों को दिखाया गया। परिवादी को सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री मनीष सिंह कानि0 नं0 486 के साथ गोपनियता की हिदायत की गई। इसी दौरान परिवादी ने बताया कि अभी एक बार मैं अपने गॉव पहुॅचकर आपको बताउंगा तब आप श्री मनीष सिंह जी को रिष्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु भेज देना। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया तथा श्री मनीष सिंह कानि.486 से डीवीआर को सुरक्षित वापस अलमारी में रखवाया गया।

दिनांक 09.02.2026 को समय 10.20 ए.एम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री जेताराम के प्रार्थना पत्र पर मांग सत्यापन वार्ता हेतु श्री मनीष सिंह कानि को सिरोही भिजवाने हेतु निर्देषित किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि नं. 486 को परिवादी श्री जेताराम से सम्पर्क कर रिष्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु जिला सिरोही जाने की हिदायत की गई एवं पूर्व से तैयार शुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकलवाकर कानि0 को सुपुर्द कर रवाना किया गया।

दिनांक 11.02.2026 को समय 11.04 ए.एम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री मनीष सिंह ने रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में श्री दिनेष वैष्णव, जेटीए का सत्यापन परिवादी को भेजकर करवा लिया है तथा जिला परिषद के अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की रिष्वत मांग सत्यापन की वार्ता आज शाम को करना बताया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनीष सिंह कानि. से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो कानि. द्वारा कॉल रिसीव नहीं
किया गया।

दिनांक 11.02.2026 को समय 5.43 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनीष सिंह कानि. से जरिये दूरभाष

सम्पर्क किया तो श्री मनीष सिंह कानि. ने बताया कि मैं दिनांक 10.02.2026 को जयपुर से रवाना होकर उसी दिन शाम को आबुरोड़ रेल्वे स्टेषन पहुॅचकर परिवादी से सम्पर्क किया तो समय करीब 5.18 पी.एम पर परिवादी श्री जेताराम रेल्वे स्टेषन पर मिला। जहॉ परिवादी ने बताया कि अभी रात्रि का समय होने वाला है तथा कार्यालय भी बन्द होने वाले हैं इसलिए कल दिनांक 11.02.2026 को संदिग्ध श्री दिनेष वैष्णव से रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मिलने के लिए कहा था। जिस पर दिनांक 11.02.2026 को परिवादी द्वारा बताया गया कि मुझे श्री दिनेष वैष्णव ने सोनेला गॉव मिलने के लिए बुलाया है। जिस पर मैंने परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर समय 11.55 ए.एम पर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु श्री दिनेष वैष्णव के पास जाने हेतु रवाना कर दिया था तथा मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुए उनके आसपास ही मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी ने मेरे पास उपस्थित आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पेष किया, जिस पर मेरे द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर मेरे पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि श्री दिनेष वैष्णव द्वारा केटलषैड की दस फाईलों में प्रत्येक फाईल के दस हजार रूपये की मांगकर आठ हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ है तथा जिला परिषद के अन्य संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी का सत्यापन कल दिनाक 12.02.2026 को करवाने के लिए परिवादी ने बताया हैं। इस पर साथ उपस्थित परिवादी से भी वार्ता की तो उपरोक्त तथ्यों की ताईद की। श्री मनीष कानि को जिला परिषद सिरोही एवं पचायत समिती रेवदर के अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी का परिवादी से रिश्वत मॉग के संबंध में सत्यापन करवाना जरूरी हो तो मुकाम वही रखने की एव उक्त दोनो को गोपनीयता रखने की हिदायत की गई।

दिनांक 12.02.2026 को 6.00 पीएम पर कानि श्री मनीष सिह ने जरिये वाट्सएप कॉल कर बताया कि आज परिवादी के कार्य के संबंध में जिला परिषद सिरोही जाकर जिला परिषद के कर्मचारी चांदु खॉ का मॉग सत्यापन की कार्यवाही के लिये जिला परिषद कार्यालय के बाहर पहुचे जहॉ कार्यालय के बाहर ही एक व्यक्ति परिवादी से मिला परिवादी ने अपने कार्य के संबंध में जिला परिषद सिरोही में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई राशि की मांग के संबंध में वार्ता की तो उक्त व्यक्ति ने स्वयं अथवा जिला परिषद में सीईओ साहब व अन्य किसी को कोई राशि देने के बारे में कोई मांग नहीं की। परिवादी ने उक्त व्यक्ति के जाने पर मुझे बताया कि यही चांदू खां था जो जिला परिषद सीईओ के लिए रिश्वत राशि की मांग करता है लेकिन मैं किसी को रिश्वत राशि नहीं देता हूं और जिला सतर्कता समिति का सदस्य हूं मेरी इसी छवि के कारण श्री चांदू खां ने मेरे कार्य के बारे में कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की हैं। परिवादी एवं चांदू खां की एकाएक मुलाकात हो जाने के कारण उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डीवीआर को ऑन कर परिवादी को सुपुर्द नहीं कर पाया। परिवादी की छवि के कारण पंचायत समिति में भी अधिकारी/कर्मचारी परिवादी से मुलाकात करने से बचते रहे हैं। इस कारण अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेरिफिकेशन संभव प्रतीत नहीं होता हैं। परिवादी से वार्ता करने पर उसने भी उक्त तथ्यो की ताईद की। जिस पर कानि0 को जयपुर मुख्यालय पहुंचने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई।

दिनांक 13.02.2026 को 12.30 पीएम पर परिवादी द्वारा सत्यापन कार्यवाही के बाद आगामी कार्य दिवस में लेनदेन कार्यवाही की सम्भावना व्यक्त की है। जिसपर श्री हिम्मत सिंह कानि.560 को स्वतन्त्र गवाहान पांबन्द कर लाने के लिए जी. एम., आर.एस.आर.एल.डी.सी.,झालान डूंगरी, जयपुर के नाम पत्रांक एसपीएल दिनांक 13.02.2026 देकर रवाना किया।

समय 04.30 पीएम पर श्री हिम्मत सिंह कानि.560 आर.एस.आर.एल.डी.सी.,झालान डूंगरी, जयपुर कार्यालय से स्वतन्त्र गवाहान पांबन्द करवाने का पत्र लाकर पेष किया व बताया कि उपरोक्त कार्यालय से दो गवाहान श्री गौतम प्रकाश व श्री अभिमन्यु को कार्यवाही हेतु पाबंद कर उपस्थित कार्यालय आया हूं, जिस पर पत्र को अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 15.02.2026 समय 09.20 पी.एम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि मेरी संदिग्ध श्री दिनेश कुमार से वार्ता हुई हैं, उसने मुझे दिनांक 17.02.2026 को रिश्वती राशि के 80,000 रूपये लेकर अपने कार्यालय में बुलाया हैं जिस पर परिवादी को 80,000 रूपये की व्यवस्था रखने व गोपनीयता रखने की मुनासिब हिदायत की गई। परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 17.02.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना हैं, परिवादी सिरोही में हैं जो ब्यूरो मुख्यालय से बहुत दूर हैं तथा संदिग्ध द्वारा दिनांक 17.02.2026 को रिश्वत राशि ली जानी हैं, इस प्रकार समयाभाव की सूरत में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यों एवं ट्रेप बाक्स के सिरोही जाने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी को दूरभाष पर रिश्वती राशि की व्यवस्था कर सिरोही में ही उपस्थित मिलने की हिदायत की गई तथा कार्यालय स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 17.02.2026 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही बाबत कार्यालय में उपस्थित आने के लिए पाबंद कर मुनासिब हिदायत की गई।

दिनांक 16.02.2026 समय 12.30 पी.एम. पर इस समय कार्यालय स्टाफ उपस्थित कार्यालय हैं तथा स्वतंत्र गवाहान श्री गौतम प्रकाष पुत्र श्री षंकर लाल वर्मा निवासी-192/193, तेजस्वी ग्रीम कॉलोनी, देहमी बगरू, जयपुर हाल-असिस्टेंट मैनेजर, राजस्थान कौषल एवं आजीविका विकास निगम, झालाना डूंगरी, जयपुर मोबाईल नं. [redacted] एवं श्री अभिमन्यू पुत्र श्री भरत लाल मीणा निवासी प्लोट नं. 47, केसर विहार, जगतपुरा, जयपुर हाल-असिस्टेंट मैनेजर, राजस्थान

कौषल एवं आजीविका विकास निगम, झालाना डूंगरी, जयपुर मोबाईल नं. [redacted] उपस्थित कार्यालय आये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने के प्रयोजन के बारे में बताकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमें रिकॉर्ड परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य दिनांक 11.02.2026 को रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी की शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टै्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये जिस पर कार्यालय स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान को समझाईस की गई कि समयाभाव के कारण परिवादी को यहां कार्यालय में आने में समय ज्यादा लगता हैं चुंकि संदिग्ध द्वारा राशि दिनांक 17.02.2026 को ही प्राप्त की जानी हैं, जिस पर परिवादी मौके पर ही रिश्वती राशि की व्यवस्था कर मौजूद मिलेगा, स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता रखने की हिदायत की गई तथा मांग सत्यापन में काम में लिया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखा गया तथा कार्यालय की अलमारी से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी से कानि0 श्री योगेश कुमार से निकलवाई जाकर कानि0 योगेश कुमार को हिदायत की गई कि उक्त शीशी को वह अपने स्वयं के पास ही रखे तथा मौके पर परिवादी द्वारा रिश्वती राशि पेश करने पर उक्त रिश्वती राशि पर नियमानुसार फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने की कार्यवाही करने की मुनासिब हिदायत की गई।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान श्री कमलेश हैड कानि0 74, श्री हिम्मत सिंह कानि0 560, श्री विनोद कानि0 242, श्री योगेश कुमार कानि0 202, श्री महेन्द्र कानि0 372, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्री धर्मसिंह कानि0 249, श्रीमती निधि महिला कानि0 86, मय स्वतंत्र गवाहान श्री गौतम प्रकाश व अभिमन्यु मय चालक श्री रूपेश न0 607 मय वाहन सरकारी आरजे 14 पी.ई 9166 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व ट्रेपबॉक्स के ब्यूरो मुख्यालय से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुए एवं हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराये। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व ट्रेपबॉक्स के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर सिरोही से कुछ पहले पहुंचा, चूंकि अब देर रात का समय हो चुका हं,ै इस कारण मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान विजय पताका धर्मशाला सिरोही रोड में मुकीम हुआ।

दिनांक 17.02.2026 को समय 10.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये वाटसएप कॉल परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि ग्राम प्रचांयत के उप सरपंच के पिताजी का अंतिम संस्कार होने से मैं थोडा विलम्ब हो जाउंगा और मैं आपको पावापुरी मन्दिर बस स्टेण्ड के पास मिल जाउंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व ट्रेपबॉक्स के धर्मशाला से पावापुरी मन्दिर बस स्टेण्ड के लिए रवाना हुआ। समय 11.00 ए.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के वाहन सरकारी से रवाना होकर परिवादी के बताये अनुसार पावापुरी बस स्टेण्ड, जिला सिरोही पहुंचा और परिवादी के आने का इन्तजार टीम की उपस्थिति छुपाते हुए करने लगा।

दिनांक 17.02.2026 को समय 11.50 ए.एम पर परिवादी श्री जेताराम उक्त स्थान पर उपस्थित आया व बताया कि मैं संदिग्ध को रिश्वत स्वरूप देने हेतु रिश्वती राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आया हू। जिस पर परिवादी जेताराम व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही बाबत स्वतंत्र गवाहान को समझाईस की गई, तो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने की पुनः मौखिक सहमती प्रदान की। उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जेताराम को दिनांक 11.02.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री जेताराम ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 80,000/- रूपये, जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 160 नोट कुल 80,000/- रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटो के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार से हैं

1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ES 917161
2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0AB 890727
3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8SW 020351
4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AS 191548
5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BK 001264
6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BQ 066488
7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MW 023042
8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DE 383086
9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BH 330351
10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0LW 165286

11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1TU 484864
12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2GM 552247
13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0HE 638053
14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GQ 909250
15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7RV 511839
16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1UC 327624
17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6BG 959539
18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9UM 622905
19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6MG 136160
20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1RT 854218
21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EE 245993
22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NH 958421
23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AA 633260
24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1UR 216959
25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0HK 221345
26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8SE 323774
27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AG 917288
28. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QS 130373
29. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NG 254815
30. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4LK 419430
31. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5RC 137593
32. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PT 579514
33. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GG 909780
34. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3DK 055264
35. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7FP 288943
36. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3RC 185971
37. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MH 736856
38. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AM 354523
39. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DF 483565
40. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DT 980634
41. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8GS 406568
42. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CH 495309
43. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DN 426366
44. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1QL 887012
45. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FC 410109
46. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EK 440564
47. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PE 184760
48. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RH 130486
49. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0LK 349749
50. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QW 392471
51. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6RM 289817
52. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9MN 960691
53. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8MS 134408
54. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8TQ 959765
55. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VM 666635
56. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BW 056892
57. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8LC 326582
58. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AB 448677

59. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MU 424459
60. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BD 795035
61. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AT 180500
62. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0LC 689303
63. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7FC 573031
64. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9HA 492451
65. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HW 222345
66. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7RD 358726
67. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BU 922320
68. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AD 505730
69. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3VD 450291
70. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GB 199322
71. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2MG 792459
72. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5GK 255148
73. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KC 094427
74. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NE 356845
75. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7MD 950993
76. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CP 860101
77. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9MM 592177
78. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DQ 724554
79. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3FL 044785
80. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CC 520428
81. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EP 271333
82. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MF 059498
83. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7ET 538693
84. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0FM 043690
85. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HT 348554
86. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DH 069618
87. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DS 663121
88. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4EH 864938
89. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0EH 488656
90. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GW 793059
91. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9HF 606969
92. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GA 222045
93. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9NM 748313
94. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BN 598063
95. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1ST 061350
96. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NR 367567
97. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9DK 594972
98. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5SD 379308
99. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9EN 344627
100. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AH 396140
101. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7VN 681819
102. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3WD 798335
103. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EH 598907
104. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BA 265637
105. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AE 651321
106. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0PU 039705

107. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0RC 689148
108. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BE 701738
109. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3KR 974548
110. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1UW 102852
111. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RU 395535
112. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0SS 250402
113. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VD 065105
114. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1UW 117209
115. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KA 631565
116. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DA 628489
117. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VS 359520
118. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UW 933730
119. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EU 840574
120. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4LQ 087842
121. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6SH 924227
122. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6GF 154446
123. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4EW 165327
124. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VN 393433
125. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9SD 356830
126. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EG 768860
127. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6WA 376052
128. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5VC 994843
129. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8CG 059825
130. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ER 987851
131. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6WV 455710
132. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EV 829325
133. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0NN 429807
134. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5MA 267807
135. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2UN 112140
136. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1KB 710253
137. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RF 381192
138. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EM 971894
139. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EU 417040
140. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BD 956559
141. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VS 712051
142. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7SU 350777
143. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BS 837775
144. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6SW 839826
145. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NH 834376
146. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GW 644926
147. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5MG 703613
148. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9CN 359080
149. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AK 336469
150. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AC 516855
151. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1PL 143778
152. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4ND 122388
153. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9CB 922128
154. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VB 647883

155. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6CP 579916
156. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6MM 038743
157. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1QQ 310240
158. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0ED 711633
159. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1WH 298156
160. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KE 202491

उक्त नोटों के नम्बर मन् निरीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर हमराह उपस्थित श्री योगेश कुमार कानि0 202 से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन एवं गाडी की चाबी के अलावा कोई अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं रहने दी गयी। तत्पश्चात श्री योगेश कुमार कानि0 202 से उसके पास जेब में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर स्टैण्ड पर बैठने के लिऐ बनी पत्थर की पटटी पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर परिवादी द्वारा पेश किये गये उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के 160 नोटों पर श्री योगेश कुमार कानि0 202 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 80,000/-रू. श्री योगेश कुमार कानि0 202 से परिवादी के पहने हुऐ पाजामें की बांयी जेब में संदिग्ध अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि निकालकर संदिग्ध अधिकारी को देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावें, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर [redacted] या श्री मनीष सिंह कानि.नं. 486 के मोबाईल नं. 70140-30770 पर मिसकॉल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर/गाडी की लाईट ऑन कर ईशारा करें।

इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहियान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री योगेश कुमार कानि0 202 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया, तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि संदिग्ध अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस श्री योगेश कुमार कानि0 202 द्वारा पहनी हुई पाजामें की जेब में सुरक्षित रखी गई तथा श्री योगेश कुमार कानि0 202 के दोनां हाथां को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। श्री योगेश कुमार कानि0 202 से जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रपपार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्रपबाक्स में रखी खाली शीशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिये गये मेमौरी कार्ड युक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कानि0 श्री मनीष सिंह को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि रिश्वत लेन देन वार्ता करने हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई । परिवादी का मोबाईल फोन एवं गाडी की चाबी उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने पहने कुर्ते की जेब में रखे तथा आवश्यकता पड़ने पर ही अपने फोन से बात करें तथा श्री योगेश कुमार कानि0 202 को ब्यूरो मुख्यालय रवाना होने की हिदायत मुनासिब की गई एंव पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द पृथक से तैयार की गई।

मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री कमलेश हैड कानि0 74, श्री मनीष सिंह कानि0 486, स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यु मय परिवादी की कार से पंचायत समिति रेवदर के लिए रवाना हुए तथा श्री हिम्मत सिंह कानि0 560, श्री विनोद कानि0 242, श्री महेन्द्र कानि0 372, श्री धर्मसिंह कानि0 249, श्रीमती निधि महिला कानि0 86, मय स्वतंत्र गवाहान श्री गौतम प्रकाश मय चालक श्री रूपेश न0 607 मय वाहन सरकारी आरजे 14 पी.ई 9166 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर, पानी की बोतले व ट्रेपबॉक्स के मन् पुलिस निरीक्षक के पीछे पीछे रवाना हुए।

मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पंचायत समिति रेवदर के पास पहुंचे एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कानि0 श्री मनीष

सिंह से रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी से जरिये मोबाईल संदिग्ध आरोपी की वार्ता करवाई किन्तु संदिग्ध आरोपी का फोन व्यस्त आने से डीवीआर बन्द करवाया गया, पुनः कानि0 श्री मनीष सिंह से रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी से जरिये मोबाईल संदिग्ध आरोपी की वार्ता करवाई किन्तु किसी अन्य फोन पर व्यस्त होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई, डीवीआर को बन्द करवाया गया कोई वार्ता रिकॉर्ड नहीं हुई। जिस पर परिवादी को आरोपी के फोन का इन्तजार करने की हिदायत की गई।

समय 01.30 पीएम पर संदिग्ध श्री दिनेश कुमार का फोन परिवादी के मोबाईल पर आया जिसपर कानि0 मनीष सिंह से डीवीआर चालू करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी ने स्वयं को करोटी साईड में होना बताते हुए वहां मिलने के लिए बुलाया किन्तु परिवादी ने स्वयं का काम करके वापस पंचायत समिति आने की बात कही। आईन्दा आरोपी के पंचायत समिति रेवदर आने पर पुनः वार्ता करवाई जाकर परिवादी को आरोपी से मिलने के लिए भिजवाया जायेगा। मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम उपस्थिति छुपाते हुए पंचायत समिति रेवदर से थोडी दूर मुकीम रहे।

समय 05.20 पीएम पर डीवीआर को ऑन कर परिवादी श्री जेताराम द्वारा श्री दिनेश कुमार को फोन करवाया गया तो फोन व्यस्त आया डिवीआर को बन्द करवाया गया। आईन्दा आरोपी के फोन का इन्तजार करने की हिदायत की गई।

समय 5.28 पीएम पर डीवीआर को ऑन कर परिवादी श्री जेताराम द्वारा श्री दिनेश कुमार को फोन करवाया गया तो आरोपी ने पंचायत समिति रेवदर उपस्थित आना बताते हुए मिलने के लिए सहमति प्रदान की इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम के पंचायत समिति रेवदर के नजदीक पहुंचने के लिए रवाना हुए।

समय 5.43 पी.एम. फिगरा उपरोक्त का रवानाशुदा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पंचायत समिति रेवदर के पास पहुचें तथा जाब्ता तथा स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई। विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कानि0 मनीष सिंह द्वारा परिवादी को संचालन की विधि की समझाईस कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देने बाबत हिदायत मुनासिब की गई जिस पर श्री मनीष सिंह द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को समय 17.44 पर दिया जाकर परिवादी को स्वयं की कार से अकेले को रिश्वत लेन देन हेतु रवाना किया गया। तथा पीछे-पीछे श्री हिम्मत िंसह कानि0, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता भी पैदल-पैदल परिवादी की गाडी के पीछे-पीछे रवाना हुये। पंचायत समिति कार्यालय के सामने बाहर मैन रोड़ पर परिवादी ने अपनी कार रोक ली जंहा पर एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से अपना पीठू बैग लेकर परिवादी की कार के पास आया और बेग लेकर कार का आगे का बाया गेट खोलकर अन्दर बैठ गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व जाब्ता परिवादी के ईशारे के इन्तजार में अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुए।

इस समय उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री जेताराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को पूर्व में निर्धारित अनुसार अपनी का कार की हेडलाईट एवं बैक लाईट ऑन कर गोपनीय ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त टीम मय स्वतंत्र गवाहान के पंचायत समिति कार्यालय के सामने मैन रोड पर परिवादी की कार के पास पहुंचा एवं हमराही जाब्ता में से श्री मनीष कानि0 486 से कार की बांयी तरफ का आगे का गेट खुलवाया जहॉ पर परिवादी के पास कण्डक्टर सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। श्री जेताराम से डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द करवाया गया। परिवादी ने कण्डक्टर सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये श्री दिनेश कुमार जेटीए साहब हैं। अभी-अभी श्री दिनेश कुमार जेटीए साहब ने मेरी ग्राम पंचायत उडवारिया में 10 कैटल शैड की तकनीकी स्वीकृति जारी कर भुगतान करवाने की एवज में मेरे से 80000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने बेग में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय टीम द्वारा परिवादी के साईड वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय दिया जाकर गाडी में बैठे अन्य व्यक्ति को गाडी से नीचे उतारकर उसका नाम पता पूछा तो संदिग्ध व्यक्ति हडबडा गया तथा कहने लगा कि मैने कोई पैसे नहीं लिये हैं, जिस पर तस्सलीपूर्वक पुनः उक्त संदिग्ध व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम श्री दिनेश कुमार पुत्र बद्रीदास वैष्णव, उम्र- 34 साल, निवासी- राधेकृष्णा मंदिर के पास, रानीवाड़ा खुर्द, तहसील व थाना रानीवाडा जिला जालौर, हाल- कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदाकर्मी), कार्यालय पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही, बताया , जिसको परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैनें कोई पैसे नही मॉगे है, उक्त पैसे श्री जेताराम ने स्वयं ने मुझे इनकी पंचायत में कैटल शैड निर्माण करने के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी करने की एवज में स्वयं ने दिये हैं, मुझे नहीं पता क्यों दिये हैं, जिस पर परिवादी को पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे ग्राम पंचायत उड़वारिया पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही में 10 कैटल शैड निर्माण करने की तकनीकी स्वीकृति जारी करने की एवज में प्रति कैडल शैड 10 हजार रूपयें की मांग कर 8,000 रूपये प्रति कैटल शैड के हिसाब से कुल 80,000 रूपये की रिश्वती राशि की मांग पूर्व में करने पर अभी रिश्वत के 80,000 रूपये प्राप्त किये हैं, जिस पर आरोपी को पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि उक्त पैसे सरपंच श्री जेताराम ने स्वयं ने दिये हैं, मैनें इनसे नहीं मांगे हैं, उक्त पैसे मैनें जेताराम जी से लेकर मेरे बैग में रखे हैं, इस पर परिवादी ने पुनः आरोपी की बात का पुरजोर खण्डन करते हुये कहा कि श्री दिनेश जी ने मेरी ग्राम

पंचायत उड़वारिया में 10 कैटल शैड निर्माण करने के प्रस्तावो की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की एवज में अभी प्रति कैटल शैड 8000 रूपये के हिसाब से पूर्व में की गई रिश्वती राशि की मांग के अनुसरण में 80,000 रूपये मुझसे प्राप्त कर अपने हाथों में लेकर स्वयं के बैग में रखे हैं। जिस पर हमराही जाप्ता में से श्री मनीष सिंह कानि., श्री धर्म सिंह कानि0 को संदिग्ध आरोपी के हाथों को कलाई के उपर से पकड कर रखने की हिदायत की गई तथा श्री दिनेश कुमार के उक्त बैग को सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री गौतम प्रकाश को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् परिवादी व आरोपी श्री दिनेश कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये सरकारी वाहन से ट्रेपबॉक्स, पानी की बोतल मंगवायी गई तथा ट्रेपबॉक्स में से दो कांच के गिलास निकलवाकर उन्हें पानी से भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में संदिग्ध श्री दिनेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में संदिग्ध श्री दिनेश कुमार के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री दिनेश कुमार के बैग की तलाशी लेने हेतु स्वतंत्र गवाह श्री गौतम प्रकाश को कहा गया तो बैग की उपर की चैन खोलने पर बैग में 500-500 रूपये के नोट मिले जिनको गिनवाये जाने पर कुल 160 नोट 500-500 रूपये की कुल राशि 80,000/- रूपये होना पाया गया । जिनके नम्बरों का फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हूबहू होना पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि को गवाह गौतम प्रकाश के पास सुरक्षित रखवायी गई। चुंकि उक्त स्थान कस्बे की मैन रोड़ होने व लोगो व साधनो की आवाजाही ज्यादा होने तथा कॉफी संख्या में भीड एकत्रित होने के कारण उच्चाधिकारियों को उक्त हालात से अवगत करवाकर अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना रेवदर में करने का निर्णय लिया गया एवं संदिग्ध श्री दिनेश कुमार जिस मोटरसाईकिल न0 आरजे 46 सी.ई 1839 पर बैठकर मौके पर उपस्थित आया था, उक्त मोटरसाईकिल को थाने पर लाने हेतु श्री हिम्मत सिंह कानि0 को मुनासिब हिदायत की गई एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाब्ता मय संदिग्ध श्री दिनेश कुमार मय स्वतंत्र गवाहान व कब्जा एसीबी लिये गये आर्टिकल्स मय जब्त शुदा रिश्वती राशि आदि के जरिये सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर पुलिस थाना रेवदर पहुंचे जंहा पर ड्यूटी आफिसर पुलिस थाना रेवदर को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही थाना हाजा पर ही करने से अवगत करवाया गया तथा थाना हाजा पर ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। चुंकि प्रकरण हाजा में परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु श्री दिनेश कुमार के बैग(जंहा से रिश्वती राशि बरामद हुई) का धोवन लेने हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के मिश्रण में संदिग्ध श्री दिनेश कुमार के बैग (जंहा से रिश्वती राशि बरामद हुई) का धोवन एक सफेद कपडे की चिंदी से लिया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क C-1 व C-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा सफेद कपडे की चिंदी को सुखाकर उसपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त चिन्दी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को शिल्डमोहर कर मार्क- ब् अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री दिनेश कुमार के बैग की तलाशी के दौरान बैग में एक लेपटॉप एचपी कम्पनी का, ग्राम पंचायत सनवाडा एमबी बुक न0 655, गुणवता प्रमाण पत्र एवं टेस्टिंग रिपोर्ट रजिस्टर पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही, कार्यालय पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही का पत्र क्रमांक 283 दिनांक 10.. 02.2026 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के स्वीकृत आवासो की डोर टू डोर भौतिक सत्यापन करने हेतु टीम गठन आदेश मय आवास सूची, सहायक अभियंता, पंचायत समिति रेवदर की स्टाम्प शील लाल कलर की, एक चार पहिया गाडी की चाबी तथा बेग के अन्दर की नीचे की चैन में नकद राशि मिली जिनको स्वतंत्र गवाह श्री गौतम प्रकाश से गिनवाया गया तो 70,000 रूपये पाये गये जिस पर आरोपी श्री दिनेश कुमार को उक्त 70,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने कहा कि मेरे ससुर ने मुझे तीन दिन पहले दिये थे इस पर आरोपी से अपने ससुर के मोबाईल नम्बर बताने एवं उक्त पैसो के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा गया तो आरोपी ने कहा कि मेरे ससुर बुजुर्ग आदमी हैं उनकी तबीयत खराब रहती हैं, आप द्वारा पूछताछ करने पर उनको गहरा सदमा लग सकता हैं। चुंकि आरोपी द्वारा उक्त संदिग्ध राशि के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिस पर आरोपी की उक्त राशि 70,000 रूपये को भी संदिग्ध राशि मानते हुए कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी को कार की चाबी के बारे में पूछा गया तो उक्त चाबी कार न0 आरजे 24 सीए 7857 सुजुकी बैलेनो जो पिताजी के नाम होना एवं उक्त कार घर पर खडी होना अवगत करवाया। लेपटॉप को चैक किया गया तो प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार की कोई फाईल/फोल्डर नहीं मिला, जिस पर बैग में मिले लेपटॉप व कार की चाबी की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होने पर आरोपी दिनेश कुमार के बताये अनुसार उसकी पत्नी श्रीमती ममता

कुमारी को सुपुर्द किये जायेंगे तथा एमबी बुक / रजिस्टर एवं अन्य सामान को आईन्दा पचांयत समिति रेवदर के अधिकारी/कर्मचारी को सुपुर्द किया जावेगा। उक्त बैग को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शीलमोहर कर कपडे की थैली पर मार्क C अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् रिश्वती राशि 80,000/- रूपये को गवाह श्री गौतम प्रकाश से प्राप्त की जाकर नियमानुसार शील्डचीट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री दिनेश कुमार ने बताया कि मैं पंचायत समिती रेवदर पर वर्ष 2017 सें संविदाकर्मी कनिष्ठ तकनिकी सहायक के रूप में पदस्थापित हॅू। नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत के सरपच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कैटल शैड स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर पंचायत समिती में मुझे दिये जाते है और मैं उक्त प्रस्तावों की जॉच कर अपनी तकनिकी रिपोर्ट के साथ उक्त प्रस्तावों को विकास अधिकारी को प्रस्तुत करता हॅू फिर उक्त प्रस्ताव जिला परिषद से स्वीकृत होकर आते है और स्वीकृत प्रस्तावों के तहत लाभार्थियों के कैटल शैड ग्राम पंचायत द्वारा बनाये जाते है। अभी श्री जैताराम द्वारा अपनी ग्राम पंचायत उडवारिया के दस कैटल शैड के प्रस्ताव के कागजात मुझे सुपुर्द किये हुये है जिन पर मेरे द्वारा तकनिकी स्वीकृति जारी करना लम्बित है।

प्रावधानानुसार आरोपी के कब्जे से रिष्वत राषि बरामदगी की विडियो रिकॉडिंग विभागीय पैनासोनिक कैमरे से श्री महेन्द्र कानि. 372 से करवाई गई, जिसकी आईन्दा नियमानुसार कॉपी मैमोरी कार्ड/सीडी/डीवीडी तैयार की जावेगी। डीवीआर में आरोपी दिनेश कुमार की आवाज रिश्वत मॉग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान रिकॉर्ड होने से आरोपी को स्वयं की आवाज का परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज देने के लिए कहा गया तो आरोपी ने परीक्षण के लिये अपनी नमूना आवाज देने से इनकार किया जिसकी पृथक से फर्द प्राप्ती नमूना आवाज मुर्तिब कर आरोपी से नमूना आवाज परीक्षण मनाही बाबत लिखित में प्राप्त की गई।

प्रकरण में कार्यवाही से आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र बद्रीदास वैष्णव, उम्र- 34 साल, निवासी- राधेकृष्णा मंदिर के पास, रानीवाड़ा खुर्द, तहसील व थाना रानीवाडा जिला जालौर, हाल- कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदाकर्मी), कार्यालय पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री जेताराम से उसके ग्राम पंचायात उड़वारिया पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही में 10 कैटल शैड निर्माण करने की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की एवज में प्रति कैटल शैड 10,000 रूपये मांग कर मांग सत्यापन दिनांक 11.02.2026 को 8,000 रूपये प्रति कैटल शैड के हिसाब से कुल 80,000/-रूपये की रिश्वती राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 17.02.2026 को रिश्वत लेन देन के दौरान 80,000/-रूपये रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री दिनेश कुमार हाल- कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदाकर्मी), कार्यालय पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बतायेनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती ममता कुमारी वैष्णव को उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर दी गई।

आरोपी श्री दिनेश कुमार की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यु से लिवाई गई थी जिसमें एक वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन, एक पर्स जिसमें 4560/- रूपये नकद, ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटोप्रति, बैंक ऑफ बडौदा का डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड मिले। आरोपी के वीवो कम्पनी मोबाईल को अनुसंधानार्थ जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया।

डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं को स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को सुनाकर उसमें रिकॉर्ड वार्ताओं में आवाज की पहचान करवाई गई तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.02.2026 में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री दिनेश कुमार की होना पहचान की। इसी प्रकार दिनांक 17.02.2026 को रिश्वत लेन देन के दौरान मोबाईल व आमने- सामने हुई वार्ताओं में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य एक आवाज आरोपी श्री दिनेश कुमार की होना पहचान की। तत्पष्चात् दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष दिनांक 11.02.2026 को रिष्वत मांग सत्यापन तथा दिनांक 17.02.2026 को हुई वार्ताओ को लेपटॉप के माध्यम से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वाईस क्लिप को बारी-बारी से चार अलग-अलग डीवीडी मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप्स का डीवीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी चार डीवीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग डीवीडी मार्क A-1 (न्यायालय प्रति) A-2 (अभियोजन प्रति) A-3 (आरोपी प्रति) मार्क A-4 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त डीवीडी में से तीन डीवीडी मार्क A-1,A-2, A-3 अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी/डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डीवीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। मार्क A-1,A-2, A-3 को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखा गया। डीवीडी मार्क A-4 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे उक्त मेमोरी कार्ड एवं डीवीडी मार्क A-1 हैश वेल्यू एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से निकाली गई, मूल मेमौरी

कार्ड जिसमें उक्त सभी वार्ताओं की वॉयस क्लिप सेव हैं को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी पर टेप चिपकाकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडें की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का SD अंकित किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट को शामिल पत्रावली किया गया।

चुंकि कार्यवाही में रिश्वती राशि की बरामदगी के समय की विडियों रिकॉर्डिंग विभागीय कैमरे से बनायी गई थी, जिसकी डी.वी.डी. तैयार की जानी हैं इस हेतु परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त विभागीय कैमरे से मेमौरी कार्ड सहित एडप्टर को निकालकर एडप्टर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर उक्त विडियों रिकॉर्डिंग्स् की बारी बारी से पृथक पृथक 2 डिवीडियों में सेव/संरक्षित किया गया एवं एक डी.वी.डी को प्लास्टिक के कवर में रखकर कपडे की थैली में रखकर मार्क VD-1 अंकित कर सील मोहर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व दूसरी डी.वी.डी पर मार्क VD-2 अनुसंधान हेतु खुली अवस्था में रखा गया एवं मूल मेमौरी कार्ड व डीवीडी मार्क VD-1 की हैश वेल्यू निकाली गई। तत्पश्चात मूल मेमौरी कार्ड को लेपटॉप व एडप्टर से निकालकर उक्त मूल मेमौरी कार्ड को कागज में लपेटकर माचिस की डिब्बी में रखकर टेप लगाकर उसे सफेद कपडे की खाली थैली में रखकर थैली को सिलकर शील्डमोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क VD अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती मेमौरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।अब तक की कार्यवाही से प्रकरण में आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र बद्रीदास वैष्णव, उम्र- 34 साल, निवासी- राधेकृष्णा मंदिर के पास, रानीवाड़ा खुर्द, तहसील व थाना रानीवाडा जिला जालौर, हाल- कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदाकर्मी), कार्यालय पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री जेताराम से उसके ग्राम पंचायात उड़वारिया पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही में 10 कैटल शैड निर्माण करने की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की एवज में प्रति कैटल शैड 10,000 रूपये मांग कर मांग सत्यापन दिनांक 11.02.2026 को 8,000 रूपये प्रति कैटल शैड के हिसाब से कुल 80,000/-रूपये की रिश्वती राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 17.02.2026 को रिश्वत लेन देन के दौरान 80,000/-रूपये रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। अतः आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र बद्रीदास वैष्णव, उम्र- 34 साल, निवासी- राधेकृष्णा मंदिर के पास, रानीवाड़ा खुर्द, तहसील व थाना रानीवाडा जिला जालौर, हाल- कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदाकर्मी), कार्यालय पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।(रघुवीर शरण)पुलिस निरीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक , विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र बद्रीदास वैष्णव, उम्र- 34 साल, निवासी- राधेकृष्णा मंदिर के पास, रानीवाड़ा खुर्द, तहसील व थाना रानीवाडा जिला जालौर, हाल- कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदाकर्मी), कार्यालय पंचायत समिति रेवदर जिला सिरोही के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 317 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 369-72 दिनांक 18.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2-जिला कार्यक्रम अधिकारी, (जिला कलक्टर) सिरोही 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/02/2026 21:24:53

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)